

## तृतीय अध्याय : बजटीय प्रबंधन

### 3.1 प्रस्तावना

यह अध्याय अनुपूरक अनुदानों सहित बजटीय प्रक्रिया और आवंटन प्राथमिकताओं की अखंडता, पारदर्शिता और प्रभावशीलता और सहवर्ती वित्तीय प्रबंधन की समीक्षा करता है और यह आकलन करता है कि क्या नीतिगत स्तर पर लिए गए निर्णयों को निधियों के विपथन के बिना प्रशासनिक स्तर पर लागू किया जाता है।

### 3.2 बजट तैयार करने की प्रक्रिया

बजट बनाने की वार्षिक कवायद सार्वजनिक संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए रोडमैप का विवरण देने के लिए एक उपकरण है। छत्तीसगढ़ शासन बजट के लिए एक टॉप-डाउन दृष्टिकोण का अनुसरण करती है। बजट तैयार करने में राज्य द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया मुख्यतः निम्नानुसार है –

➤ वित्तीय वर्ष की शुरुआत में वित्त विभाग केन्द्र और राज्य शासन द्वारा नीतिगत घोषणाओं पर विचार करते हुए पिछले प्रवृत्तियों के आधार पर आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य को उपलब्ध होने वाले वित्तीय संसाधनों का प्रारंभिक आकलन करता है और जो किसी भी हाल के घटनाक्रम संसाधन उपलब्धता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता हो।

➤ अनुमानित संसाधनों की मात्रा के आधार पर वित्त विभाग वित्तीय वर्ष के लिए शासकीय व्यय का वहनीय स्तर निर्धारित करता है।


➤ बजट परिपत्र में विभागों द्वारा तैयार किए जाने वाले अनुमानों को प्रस्तुत करने और समीक्षा के लिए तारीखों का कैलेंडर शामिल है। इसके साथ जेण्डर, चाइल्ड, कृषि और परिणामी बजट की तैयारी के लिए प्रक्रियात्मक विवरण शामिल किये गये हैं।

➤ इसके बाद वित्त विभाग भारत के नीति आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के आधार पर राज्य के वित्तीय संसाधनों का विस्तृत आकलन करता है। इन अनुमानों में राजस्व अर्जित करने वाले विभागों के विभिन्न अदानों को भी शामिल किया गया है। स्थानीय निकायों और राज्य सार्वजनिक उपक्रमों के संसाधनों का एक अनुमान भी बनाया जाता है। विभागों से व्यय के बजट अनुमान प्राप्त करने के बाद वित्त विभाग इन अनुमानों की छानबीन करता है और उन्हें अंतिम रूप प्रदान करता है जिसके लिए यह विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा करता है।

इस प्रकार, वित्त विभाग द्वारा अनुमानों को निर्धारित प्रारूपों में संकलित किया जाता है, जिनमें उन्हें विधानसभा में मतदान के लिए प्रस्तुत किया जाता है और राज्य के संचित निधि से व्यय के लिए अनुमोदन के लिए अपना वार्षिक बजट और अनुदान/विनियोजन की मांगों को प्रस्तुत किया जाता है। मूल बजट राशि से अधिक व्यय को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान/विनियोजन प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, राज्य शासन विनियोजन की विभिन्न इकाईयों से निधियों का पुनर्विनियोजन/पुनः आवंटन भी करती है, जहाँ बचत प्रत्याशित है, उन इकाईयों को जहाँ वर्ष के दौरान अतिरिक्त व्यय की परिकल्पना (अनुदान/विनियोग के अंदर) की जाती है।

वर्ष 2021-22 के दौरान मूल और अनुपूरक बजट, व्यय और बचत सहित राज्य विधानसभा द्वारा अनुमोदित कुल राशि को नीचे दिए गये चार्ट 3.1 में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.1: वर्ष 2021-22 में छत्तीसगढ़ के बजट एवं व्यय का सारांश



### 3.3 वित्तीय जबाबदेही और बजट की समीक्षा

#### 3.3.1 जेण्डर बजट

जेण्डर बजट कुल बजट का हिस्सा है और इसे महिलाओं के विकास में सहायता के लिए बनाया गया है, महिलाओं से संबंधित योजनाओं को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है— (1) महिला-विशिष्ट योजनाएं जिनमें 100 प्रतिशत बजट प्रावधान महिलाओं से संबंधित और (2) महिला समर्थक योजनाएं जिनमें बजट प्रावधान का कम से कम 30 प्रतिशत महिलाओं से संबंधित है।

वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य शासन ने 23 योजनाओं के लिए ₹530.85 करोड़ (केवल मूल बजट) प्रावधानित किया जो 100 प्रतिशत महिला केन्द्रित योजनाओं के लिए है। कुल बजट ₹530.85 करोड़ में से, केवल ₹471.58 करोड़ (88.83 प्रतिशत) का व्यय किया गया और शेष ₹59.27 करोड़ (11.17 प्रतिशत) या तो समर्पित किया गया या पुनर्विनियोजित किया गया था। विवरण **परिशिष्ट 3.1** में दिखाया गया है।

वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य शासन ने 114 योजनाओं के लिए ₹13,296.86 करोड़ का बजट प्रावधान किया, जिसमें बजट का एक हिस्सा (न्यूनतम 30 प्रतिशत) महिला केन्द्रित कार्यों पर व्यय किया जाना था जिसका विशिष्ट उप-शीर्ष या उद्देश्य शीर्ष का विवरण प्रदान नहीं किया गया। जिस कारण महिला केन्द्रित योजनाओं पर व्यय की गई वास्तविक राशि को लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका।

#### 3.3.2 युवा बजट

युवा बजट समग्र बजट का हिस्सा है और युवाओं से संबंधित योजनाओं को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है—(1) युवा-विशिष्ट योजनाएं जिनमें 100 प्रतिशत बजट प्रावधान युवाओं से संबंधित है, और (2) युवा समर्थक योजनाएं जिनमें कम से कम 50 प्रतिशत बजट प्रावधान युवाओं से संबंधित है।

वर्ष 2021-22 के दौरान, राज्य शासन ने 50 योजनाओं के लिए ₹1,464.64 करोड़ (मूल बजट ₹1,419.84 करोड़ और अनुपूरक बजट ₹44.80 करोड़) प्रावधान किया, जो 100 प्रतिशत युवा केन्द्रित है। ₹1,464.64 करोड़ के कुल बजट में से केवल ₹719.73 करोड़ (49.14 प्रतिशत) का व्यय किया गया और ₹744.91 करोड़ (50.86 प्रतिशत) या तो समर्पित किया गया या पुनर्विनियोजित किया गया था। विवरण **परिशिष्ट 3.2** में दिखाया गया है।

कुल 51 योजनाओं के लिए ₹2,866.37 करोड़ का बजट प्रावधान जिसमें बजट का एक हिस्सा (न्यूनतम 50 प्रतिशत) युवा केन्द्रित कार्यों पर वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय किया जाना था, जिसके लिये विशिष्ट उप-शीर्ष या उद्देश्य शीर्ष निर्दिष्ट नहीं किया गया। जिस कारण युवा-केन्द्रित योजनाओं पर व्यय की गई वास्तविक राशि को लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सकता है।

### 3.3.3 कृषि बजट

इस बजट में कृषि क्षेत्र का विकास और किसानों की गतिविधियों के हितों के साथ-साथ इन गतिविधियों पर होने वाले व्यय की जानकारी भी शामिल है।

वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य शासन ने 13 विभागों<sup>1</sup> के अंतरगत 261 कृषि योजनाओं के लिए ₹19,313.63 करोड़ (मूल बजट ₹18,513.39 करोड़ और अनुपूरक बजट ₹800.23 करोड़) का बजट प्रावधान किया। इस कुल बजट में से ₹16,046.29 करोड़ (83.08 प्रतिशत) का व्यय और शेष ₹3,267.34 करोड़ (16.92 प्रतिशत) या तो समर्पित किया गया या पूर्वनिर्धारित किया गया।

### 3.3.4 चाइल्ड बजट

राज्य सरकार ने राज्य में लगभग 80 लाख बच्चों को पर्याप्त बजट प्रदान करने के लिए पहली बार चाइल्ड बजट पेश किया है। बच्चों और किशोरों में निवेश वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए समावेशी, न्यायसंगत और सतत विकास प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है और कुशल खर्च यह सुनिश्चित करता है कि सभी बच्चों के अधिकारों को बढ़ावा दिया जाए और संरक्षित किया जाए। छत्तीसगढ़ ने इसे 2030 तक अपने सी.जी.एस.डी.जी. (छत्तीसगढ़ सतत विकास लक्ष्य) में भी शामिल किया है।

वर्ष 2021-22 के दौरान, राज्य सरकार ने छह विभागों<sup>2</sup> के तहत 45 योजनाओं के लिए बजट में ₹3,532.55 करोड़ रुपये प्रदान किया। इसमें से ₹51.45 करोड़ रुपये का बजट 11 योजनाओं के लिए आवंटित किया गया था जो 100 प्रतिशत बाल-केन्द्रित हैं। ₹25.85 करोड़ (50.24 प्रतिशत) का व्यय किया गया था और शेष ₹25.60 करोड़ (49.76 प्रतिशत) को या तो समर्पित कर दिया गया या पूर्वनिर्धारित किया गया।

### 3.3.5 मुख्य नीतिगत पहल/नई योजनाएं

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य सरकार ने ₹1,256.15 करोड़ के आवंटन के साथ कुल 47 प्रमुख नीतिगत पहलों/नई योजनाओं की घोषणा की। इन प्रमुख नीतिगत पहलों/नई योजनाओं में से, इसने विभिन्न विभागों को शामिल करते हुए सात प्रमुख नीतिगत पहलों/नई योजनाओं (एक करोड़ और अधिक) के तहत कुल ₹37.10 करोड़ का बजट प्रदान किया, जिसमें वर्ष के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया था और समस्त राशि या तो समर्पित या पुनर्विनियोजित की गई थी, जिसका मुख्य कारण शासन द्वारा धनराशि जारी न किया जाना/कम किया जाना, प्रस्ताव प्राप्त नहीं होना, कार्यों का अनुमोदित न होना आदि था। विवरण **परिशिष्ट 3.3** में दिखाया गया है।

## 3.4 विनियोग लेखा

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोगों की लेखापरीक्षा से यह पता लगाने का प्रयास करते हैं कि क्या व्यय विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत वास्तविक रूप से किया है जो विनियोग अधिनियम

<sup>1</sup> कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, मछली पालन विभाग, सहकारिता विभाग, जल संसाधन विभाग, राजस्व विभाग, पंचायत और ग्रामीण विभाग, वन विभाग, उर्जा विभाग, वित्त विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग, आयाकाट विभाग, ग्रामीण उद्योग विभाग

<sup>2</sup> श्रम विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग, और महिला एवं बाल विकास विभाग

के अन्तर्गत दिए गए प्राधिकार के अनुरूप है और जो व्यय संविधान के प्रावधानों (अनुच्छेद 202) के तहत भारित किये जाने के लिए आवश्यक हो वह व्यय भारित किया गया है। लेखापरीक्षा यह भी सुनिश्चित करती है कि व्यय जिस प्रकार किया गया है वह व्यय विधि संबंधित नियमों, विनियमों और निर्देशों के अनुरूप है या नहीं।

### 3.4.1 विनियोग लेखों का सारांश

वर्ष 2021-22 के दौरान 71 अनुदानों/विनियोगों के विरुद्ध अनुपूरक बजट सहित मूल बजट, वास्तविक व्यय और आधिक्य/बचत के सारांश की स्थिति तालिका 3.1 दर्शायी गई है।

तालिका 3.1: बजट प्रावधानों की तुलना में व्यय की स्थिति का सारांश

(₹ करोड़ में)

|                | व्यय की प्रकृति    | मूल प्रावधान     | अनुपूरक प्रावधान   | कुल बजट          | व्यय                          | बचत (-)                       | आधिक्य (+)                   | माह मार्च में किये गये समर्पण की राशि |
|----------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| दत्तमत         | राजस्व             | 78,002.98        | 3,313.30           | 81,316.28        | 69,557.86                     | -12,348.56<br>(15.19)         | 590.14<br>(0.73)             | 12,248.64<br>(99.19)                  |
|                | पूँजीगत            | 14,582.88        | 1,358.33           | 15,941.21        | 10,875.25                     | -5,066.23<br>(31.78)          | 0.27                         | 5,058.31<br>(99.85)                   |
|                | ऋण तथा अग्रिमों    | 304.75           | 68.00              | 372.75           | 336.33                        | -36.42<br>(9.77)              | 0.00                         | 94.60<br>(259.77)                     |
|                | <b>कुल दत्तमत</b>  | <b>92,890.61</b> | <b>4,739.63</b>    | <b>97,630.24</b> | <b>80,769.45</b>              | <b>-17,451.21<br/>(17.87)</b> | <b>590.41<br/>(0.60)</b>     | <b>17,401.55<br/>(99.72)</b>          |
| भारित          | राजस्व             | 6,924.57         | 346.93             | 7,271.50         | 6,736.85                      | -535.07<br>(7.36)             | 0.42<br>(0.01)               | 533.68<br>(99.74)                     |
|                | पूँजीगत            | 21.19            | 0.00               | 21.19            | 16.82                         | -4.37<br>(20.58)              | 0.00                         | 4.36<br>(100.00)                      |
|                | लोक ऋण             | 5,376.37         | 0.00               | 5,376.37         | 8,845.29                      | 0.00                          | 3,468.93<br>(64.52)          | 0.00                                  |
|                | <b>कुल भारित</b>   | <b>12,322.12</b> | <b>346.93</b>      | <b>12,669.05</b> | <b>15,598.97</b>              | <b>-539.44<br/>(4.26)</b>     | <b>3,469.35<br/>(27.38)</b>  | <b>538.04<br/>(99.74)</b>             |
| <b>कुल योग</b> | <b>1,05,212.73</b> | <b>5,086.56</b>  | <b>1,10,299.29</b> | <b>96,368.41</b> | <b>-17,990.65<br/>(16.31)</b> | <b>4,059.76<br/>(3.68)</b>    | <b>17,939.59<br/>(99.72)</b> |                                       |


स्रोत : विनियोग लेखे वर्ष 2021-22

कुल बचत ₹17,990.65 करोड़ (कुल अनुदान/विनियोग का 16.31 प्रतिशत) थी, और ₹18,509.20 करोड़ समर्पित किया गया था। कुल समर्पित राशि ₹18,509.20 करोड़ में से ₹17,939.59 करोड़ (96.92 प्रतिशत) की राशि को मार्च के महीने में समर्पित किया गया, जिससे अन्य विकास उद्देश्यों के लिए इन निधियों के उपयोग की कोई संभावना नहीं रह गयी। चूंकि शासन मूल प्रावधान का उपयोग नहीं कर सकी, इसलिए ₹5,086.56 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुआ।

### 3.4.2 बजटीय निधि का उपयोग

राज्य द्वारा बजटीय निधि का उपयोग पिछले कुछ वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उप-युक्ततम रहा है, वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक की पाँच वर्ष की अवधि के दौरान बजट के उपयोग की सीमा नीचे चार्ट 3.2 में दर्शायी गई है।

चार्ट 3.2: वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान बजट का उपयोग



स्रोत : संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

बजट के उपयोग का प्रतिशत 2017-18 में 78.68 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 के दौरान 87.37 प्रतिशत हो गया। इसके अलावा, धन का उपयोग 2020-21 में 81.22 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में कुल बजटीय प्रावधान का 87.37 प्रतिशत हो गया। फंड के उपयोग में यह वृद्धि मुख्य रूप से कोविड-19 महामारी के बाद अर्थव्यवस्था के धीरे-धीरे अनलॉक होने के कारण हुई थी। मुख्य रूप से चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य और सामान्य शिक्षा में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष राजस्व व्यय में वृद्धि हुई। सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए नए कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के कारण पूंजीगत व्यय में भी वृद्धि हुई।

### 3.5 बजटीय और लेखा प्रक्रिया की अखंडता पर टिप्पणियां

#### 3.5.1 राजस्व व्यय के रूप में पूंजीगत व्यय का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण

सहायता अनुदान के लेखांकन और वर्गीकरण के संबंध में भारत सरकार लेखा मानक (आई.जी.ए.एस.)-2 यह निर्धारित करता है कि अनुदानकर्ता द्वारा वितरित सहायता अनुदान और अनुदानकर्ता के वित्तीय विवरणों में राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत और लेखांकन किया जायेगा, भले ही जिन उद्देश्यों के लिये धन का वितरण किया गया हो। केवल भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से अधिकृत प्रकरणों में इन पर शासन के वित्तीय विवरणों में पूंजीगत शीर्ष लेखे में डेबिट किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, शासकीय लेखे नियम 1990 के नियम 30 और मध्यप्रदेश वित्तीय संहिता खंड-एक (जैसा कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनुसरण किया गया है) की कंडिका 324 में यह निर्धारित करने के लिए मापदंड है कि व्यय को समेकित निधि के पूंजीगत अनुभाग या राजस्व अनुभाग के शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए या नहीं।

पूंजीगत खंड में वर्गीकृत की जाने वाली पूंजी प्रकृति के व्यय को मोटे तौर पर एक भौतिक और स्थायी चरित्र की ठोस परिसंपत्तियों को बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए व्यय के रूप में परिभाषित किया जाएगा। अस्थायी संपत्ति पर व्यय या स्थानीय निकायों या संस्थानों को संपत्ति बनाने के उद्देश्य से सहायता अनुदान पर व्यय, जो इन स्थानीय निकायों या संस्थानों से संबंधित होगा, को आमतौर पर पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, सिवाय उन मामलों के जिन्हें नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से अधिकृत किया जाता है।

वर्ष 2021-22 के दौरान, छत्तीसगढ़ शासन ने पूंजीगत खंड के तहत पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए प्रदान किए गए ₹2,227.04 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान किए और सहायता अनुदान को गलत


तरीके से वर्गीकृत किया। वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान पूँजीगत व्यय के रूप में सहायता अनुदान का व्यय तालिका 3.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.2: पूँजीगत व्यय के रूप में सहायता अनुदान के वर्गीकरण का विस्तार

|                                                     | 2017-18   | 2018-19  | 2019-20  | 2020-21  | 2021-22   |
|-----------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|
| पूँजीगत व्यय के रूप में दर्ज किया गया सहायता अनुदान | 2,359.39  | 1,998.74 | 1,939.61 | 1,865.85 | 2,227.04  |
| कुल पूँजीगत व्यय                                    | 10,000.96 | 8,903.45 | 8,566.39 | 9,024.19 | 10,504.22 |
| पूँजीगत व्यय में सहायता अनुदान के अंश (%)           | 23.59     | 22.45    | 22.64    | 20.68    | 21.20     |

स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 3.3: पूँजीगत व्यय में सहायता अनुदान का अंश



स्रोत : संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

### 3.5.2 अनावश्यक एवं अत्याधिक अनुपूरक अनुदान

वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य विधान मण्डल द्वारा ₹5,086.56 करोड़ के तीन अनुपूरक बजट को मंजूरी दी गयी। इन अनुपूरक आबंटन के उपयोग के लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला है कि 26 अनुदान/विनियोग से संबंधित 31 प्रकरणों में, वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए प्रत्येक मामले में ₹50 लाख या उससे अधिक के पूरक प्रावधान ₹2,597.12 करोड़ प्राप्त हुए जो पूरी तरह से अनावश्यक साबित हुए क्योंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था। विवरण परिशिष्ट 3.4 में दर्शाया गया है।

कुल 17 अनुदानों/विनियोगों में मूल बजट प्रावधान में से ₹100 करोड़ और उससे अधिक की महत्वपूर्ण बचत थी, फिर भी अनुपूरक प्रावधान प्राप्त किया गया था। विवरण नीचे तालिका 3.3 में दिया गया है।

तालिका 3.3: ऐसे प्रकरण जहाँ मूल बजट प्रावधान से ₹100 करोड़ और अधिक बचत थी फिर भी अनुपूरक प्रावधान प्राप्त किये गये

| क्र.सं.         | अनुदान संख्या | अनुदान का नाम                              | मूल प्रावधान | अनुपूरक प्रावधान | वास्तविक व्यय | मूल प्रावधान में से बचत |         |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------|--------------|------------------|---------------|-------------------------|---------|
|                 |               |                                            |              |                  |               | राशि                    | प्रतिशत |
| राजस्व (दत्तमत) |               |                                            |              |                  |               |                         |         |
| 1               | 02            | सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय | 346.18       | 5.87             | 159.28        | -186.90                 | 53.99   |
| 2               | 03            | पुलिस                                      | 5,073.18     | 15.83            | 4,471.03      | -602.15                 | 11.87   |
| 3               | 08            | भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन                 | 918.94       | 201.00           | 806.38        | -112.56                 | 12.25   |
| 4               | 23            | जल संसाधन विभाग                            | 620.31       | 3.11             | 474.32        | -145.99                 | 23.54   |
| 5               | 27            | स्कूल शिक्षा                               | 5,140.25     | 57.29            | 4,586.48      | -553.77                 | 10.77   |
| 6               | 29            | न्याय और चुनाव का प्रशासन                  | 478.05       | 9.71             | 364.16        | -113.89                 | 23.82   |

|                           |    |                                                |                  |                 |                  |                  |              |
|---------------------------|----|------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|
| 7                         | 30 | पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय | 3,049.75         | 160.79          | 2,024.41         | -1,025.34        | 33.62        |
| 8                         | 39 | खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण       | 2,333.05         | 41.50           | 2,024.51         | -308.53          | 13.22        |
| 9                         | 41 | आदिवासी क्षेत्र उप-योजना                       | 16,242.98        | 601.19          | 13,884.41        | -2,358.57        | 14.52        |
| 10                        | 55 | महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय           | 1,016.19         | 6.65            | 748.67           | -267.53          | 26.33        |
| 11                        | 64 | अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना       | 5,136.72         | 379.01          | 4,489.82         | -646.90          | 12.59        |
| 12                        | 69 | नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-शहरी             | 895.12           | 258.62          | 774.38           | -120.74          | 13.49        |
| 13                        | 79 | चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय          | 903.03           | 7.00            | 672.67           | -230.35          | 25.51        |
| <b>कुल राजस्व दत्तमत</b>  |    |                                                | <b>42,153.75</b> | <b>1,747.56</b> | <b>35,480.52</b> | <b>-6,673.23</b> | <b>15.83</b> |
| <b>पूँजीगत (दत्तमत)</b>   |    |                                                |                  |                 |                  |                  |              |
| 14                        | 08 | भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन                     | 231.89           | 4.00            | 4.86             | -227.03          | 97.90        |
| 15                        | 23 | जल संसाधन विभाग                                | 519.16           | 0.12            | 232.25           | -286.91          | 55.26        |
| 16                        | 41 | आदिवासी क्षेत्र उपयोजना                        | 3,233.04         | 395.19          | 2,516.54         | -716.50          | 22.16        |
| 17                        | 67 | लोक निर्माण कार्य-भवन                          | 785.44           | 0.01            | 307.90           | -477.53          | 60.80        |
| <b>कुल पूँजीगत दत्तमत</b> |    |                                                | <b>4,769.53</b>  | <b>399.32</b>   | <b>3,061.56</b>  | <b>-1,707.97</b> | <b>35.81</b> |
| <b>कुल योग</b>            |    |                                                | <b>46,923.28</b> | <b>2,146.88</b> | <b>38,542.08</b> | <b>-8,381.20</b> | <b>17.86</b> |

स्रोत : विनियोग लेखे 2021-22

इसके अतिरिक्त, 20 उप-शीर्षों के अंतर्गत, प्रत्येक मामले में ₹193.36 करोड़ की राशि के एक करोड़ या अधिक के संपूर्ण अनुपूरक प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया था जैसा कि तालिका 3.4 में दर्शाया गया है। यह इंगित करता है कि अनुपूरक प्रावधान आवश्यकता के वास्तविक अनुमान के बिना किए गए थे और यह गुणहीन बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

तालिका 3.4: विवरण जहाँ संपूर्ण अनुपूरक प्रावधान (₹एक करोड़ और अधिक) अनुपयोगी रहा

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | योजना का नाम                                                                             | मूल प्रावधान | अनुपूरक प्रावधान | कुल प्रावधान |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|
| 1       | 03- 2055- 1- 7811- डायल 100 / 112                                                        | 45.00        | 1.00             | 46.00        |
| 2       | 03- 4055- 208- 101- 2629- पुलिस                                                          | 82.00        | 1.00             | 83.00        |
| 3       | 17- 4425- 200- 311- 8545- नाबार्ड सहायता गोदाम निर्माण                                   | 0.00         | 3.92             | 3.92         |
| 4       | 19- 2210- 1- 2283- निर्देशन और प्रशासन (राजीव गांधी मिशन, बुनियादी सेवाएं)               | 0.20         | 1.03             | 1.23         |
| 5       | 19- 2210- 200- 101- 6362- डाक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना                      | 275.00       | 50.00            | 325.00       |
| 6       | 41- 2202- 109- 702- 8979- एकीकृत अम्बेला योजना                                           | 72.00        | 4.80             | 76.80        |
| 7       | 41- 2202- 112- 702- 6933- मध्य विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम                    | 58.96        | 8.78             | 67.74        |
| 8       | 41- 2210- 101- 6390- मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना                                 | 1.90         | 1.33             | 3.23         |
| 9       | 41- 2408- 102- 102- 8674- राज्य सहकारी विपणन संघ को खाद्य खरीद में किए गए व्यय का मुआवजा | 115.57       | 31.54            | 147.11       |
| 10      | 41- 2501- 102- 702- 7490- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन                                 | 152.00       | 26.01            | 178.01       |
| 11      | 41- 4425- 200- 312- 8545- नाबार्ड सहायता गोदाम निर्माण                                   | 0.00         | 1.09             | 1.09         |
| 12      | 41- 4702- 101- 102- 3828- लघु सिंचाई योजनाएं                                             | 250.00       | 3.60             | 253.60       |
| 13      | 45- 4702- 101- 101- 3803- लघु और सूक्ष्म लघु सिंचाई योजनाएं                              | 199.80       | 1.01             | 200.81       |
| 14      | 64- 2202- 112- 703- 6933- मध्य विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम                    | 35.80        | 5.33             | 41.13        |
| 15      | 64- 2202- 109- 103- 7363- युवा कैरियर विकास योजना                                        | 0.45         | 3.00             | 3.45         |
| 16      | 64- 4225- 102- 603- 7626- विशेष केन्द्रीय सहायता द्वारा स्थानीय विकास कार्यक्रम          | 51.77        | 4.00             | 55.77        |
| 17      | 64- 4702- 102- 103- 5059- एनीकट/स्टॉप डैम का निर्माण                                     | 20.00        | 11.92            | 31.92        |

|            |                           |                                 |                 |               |                 |
|------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 18         | 79- 4210- 110- 101- 6385- | मेडिकल कॉलेज संलग्न अस्पताल     | 1.20            | 2.00          | 3.20            |
| 19         | 79- 4210- 105- 101- 6386- | मेडिकल डेंटल फिजियोथेरेपी कॉलेज | 1.50            | 2.00          | 3.50            |
| 20         | 79- 4210- 105- 101- 6386- | मेडिकल डेंटल फिजियोथेरेपी कॉलेज | 3.50            | 30.00         | 33.50           |
| <b>कुल</b> |                           |                                 | <b>1,366.65</b> | <b>193.36</b> | <b>1,560.01</b> |

स्रोत : विनियोग लेखे 2021-22

### 3.5.3 अनावश्यक या अत्याधिक पुनर्विनियोग

पुनर्विनियोग में, एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा, अनुदान में एक इकाई (राजस्व-दत्त, राजस्व-भारित, पूंजी-दत्त, पूंजी-भारित) जहाँ बचत की प्रत्याशा होती है, दूसरी इकाई को जहाँ अतिरिक्त धन की आवश्यकता होती है वहाँ धन का हस्तांतरण होता है।

वर्ष 2021-22 के दौरान, 8 अनुदानों से संबंधित 15 प्रकरणों में, पुनर्विनियोजन के बाद अतिरिक्त/बचत थी, जैसा कि तालिका 3.5 में विस्तृत है, यह दर्शाता है कि प्रशासन द्वारा पुनर्विनियोजन पर्याप्त आंकलन के बिना किए गए थे।

तालिका 3.5: अतिरिक्त/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोग

(₹ करोड़ में)

| अनुदान क्रमांक                                        | मूल    | अनुपूरक | पुन-<br>विनियोजन | कुल    | वास्तविक<br>व्यय | समापक<br>अधिक्य<br>(+)<br>/कमी<br>(-) |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|------------------|--------|------------------|---------------------------------------|
| 33- 2202- 2- 110- 307- गैर-सरकारी संस्था का योगदान    | 0.10   | 0.00    | 8.88             | 8.98   | 0.00             | -8.98                                 |
| 58- 2245- 2- 111- 7352- दुःखद परिवार को सहायता अनुदान | 23.00  | 0.00    | 3.02             | 26.02  | 18.92            | -7.10                                 |
| 45- 4702- 102- 101- 5059- एनीकट/स्टॉप डैम का निर्माण  | 100.00 | 0.00    | 20.89            | 120.89 | 120.07           | -0.82                                 |
| 67- 2059- 1- 53- 3692- राज्य विधानमंडल                | 1.50   | 0.00    | 0.50             | 2.00   | 1.47             | -0.53                                 |
| 67- 2059- 80- 1- 101- 2418- निष्पादन                  | 2.00   | 0.00    | 0.75             | 2.75   | 2.29             | -0.46                                 |
| 67- 2059- 80- 1- 101- 3300- सर्किल स्थापना            | 0.40   | 0.00    | 0.10             | 0.50   | 0.35             | -0.15                                 |
| 67- 2059- 80- 1- 101- 3566- मुख्यालय स्थापना          | 0.40   | 0.00    | 0.10             | 0.50   | 0.37             | -0.13                                 |
| 10- 2406- 2- 110- 2900- अभयारण्य क्षेत्र              | 3.00   | 0.00    | 0.77             | 3.77   | 3.68             | -0.09                                 |
| 67- 2059- 80- 1- 101- 3300- सर्किल स्थापना            | 0.01   | 0.00    | 0.05             | 0.06   | 0.03             | -0.04                                 |
| 33- 2202- 2- 109- 979- खेल परिसर                      | 0.25   | 0.00    | 0.01             | 0.26   | 0.23             | -0.03                                 |
| 66- 2225- 3- 102- 6749- राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग        | 0.01   | 0.00    | 0.04             | 0.05   | 0.02             | -0.03                                 |
| 08- 2053- 93- 1510- जिला प्रतिष्ठान                   | 0.00   | 0.00    | 0.02             | 0.02   | 0.00             | -0.02                                 |
| 58- 2245- 80- 1- 2304- निर्देशन और प्रशासन            | 0.07   | 0.00    | 0.01             | 0.08   | 0.06             | -0.02                                 |
| 41- 2202- 2- 796- 109- 102- 1395- हॉस्टल              | 0.20   | 0.00    | 0.03             | 0.23   | 0.21             | -0.01                                 |
| 41- 2202- 2- 796- 109- 102- 1395- हॉस्टल              | 0.10   | 0.00    | 0.03             | 0.13   | 0.12             | -0.01                                 |

स्रोत : विनियोग लेखे वर्ष 2021-22

### 3.5.4 उप-शीर्षों के तहत संपूर्ण बजट प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया

76 प्रकरणों में, 28 अनुदानों और दो विनियोगों के अंतर्गत विभिन्न उप-शीर्षों में ₹10 करोड़ और उससे अधिक के सम्पूर्ण प्रावधान ₹5,027.45 करोड़ अप्रयुक्त रहें जिसका विवरण परिशिष्ट 3.5 में दिया गया है। इनमें से महत्वपूर्ण प्रकरण, जहाँ 100 करोड़ और उससे अधिक के बिना उपयोग किए गए बजट प्रावधान तालिका 3.6 में नीचे दिये गए हैं।



तालिका 3.6: बिना उपयोग बजट प्रावधान का विवरण ₹100 करोड़ और उससे अधिक

(₹ करोड़ में)

| नाम                                                                                                     | मूल             | अनुपूरक      | कुल प्रावधान    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 30- 2216- 03- 105- 701- 7807- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)                                         | 620.00          | 00.00        | 620.00          |
| CH1- 6003- 110- 637- अर्थोपाय अग्रिम                                                                    | 581.88          | 00.00        | 581.88          |
| 41- 2216- 03- 796- 105- 702- 7807- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)                                    | 456.00          | 00.00        | 456.00          |
| CH2- 2049- 01- 101- 2199- नया बाजार ऋण                                                                  | 275.00          | 00.00        | 275.00          |
| CH1- 6003- 110- 779- कमी को पूरा करने के लिए अग्रिम                                                     | 250.00          | 00.00        | 250.00          |
| 42- 5054- 04- 796- 337- 702- 7842- आर.आर.पी. चरण-II                                                     | 230.00          | 00.00        | 230.00          |
| 30- 2215- 02- 107- 701- 7610- स्वच्छ भारत अभियान                                                        | 200.00          | 00.00        | 200.00          |
| 41- 2215- 02- 796- 107- 702- 7610- स्वच्छ भारत अभियान                                                   | 152.00          | 00.00        | 152.00          |
| 64- 2216- 03- 789- 105- 703- 7807- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)                                    | 144.00          | 00.00        | 144.00          |
| 80- 2853- 02- 800- 101- 6299- ग्रामीण क्षेत्रों के गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को हस्तान्तरण | 139.37          | 00.00        | 139.37          |
| 79- 4210- 03- 105- 701- 6386- मेडिकल डेंटल फिजियोथेरेपी कॉलेज                                           | 100.00          | 00.00        | 100.00          |
| <b>कुल</b>                                                                                              | <b>3,148.25</b> | <b>00.00</b> | <b>3,148.25</b> |

स्रोत : विनियोग लेखे वर्ष 2021-22

### 3.5.5 बृहद बचत/समर्पण

कुल बचत ₹17,990.65 करोड़ के एवज में ₹100 करोड़ से अधिक की बचत 30 अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत हुई, ₹15,989.22 करोड़ की राशि जो वर्ष के दौरान समग्र बचत का 88.87 प्रतिशत है जैसा कि **परिशिष्ट 3.6** में विस्तृत है। इन 30 अनुदानों/विनियोजनों में से ₹500 करोड़ से अधिक की बचत आठ अनुदानों में देखी गई जिसकी राशि ₹9,132.79 करोड़ रुपये थी जैसा कि **परिशिष्ट 3.7** में दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त 61 अनुदानों में ₹10 करोड़ से अधिक के समर्पण किए गए की कुल राशि ₹18,901.27 करोड़ है जैसा कि **परिशिष्ट 3.8** में विस्तृत है।

कुल 71 अनुदानों/विनियोजनों में से आठ अनुदानों/विनियोग में आबंटन का 50 प्रतिशत से कम उपयोग हुआ जिसके कारण वर्ष 2021-22 में बृहद बचत हुई। वर्ष 2017-18 से वर्ष 2021-22 तक की पाँच वर्ष की अवधि में इन आठ अनुदानों/विनियोजनों में बजटीय आवंटन का उपयोग **तालिका 3.7** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.7: अनुदान/विनियोग जहाँ बजट का उपयोग 50 प्रतिशत से कम

| क्र.सं. | अनुदान का नाम                                                                                      | 2017-18                | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | वर्षों की संख्या | बजट 2021-22 | कुल बजट (पाँच वर्ष) |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|---------|---------|---------|------------------|-------------|---------------------|
|         |                                                                                                    | बजट का उपयोग (प्रतिशत) |         |         |         |         |                  |             |                     |
| 1       | 02-सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय                                                      | 65                     | 58      | 46      | 06      | 37      | 3                | 432.11      | 750.33              |
| 2       | 09- राजस्व विभाग से संबंधित व्यय                                                                   | 36                     | 37      | 58      | 24      | 37      | 4                | 21.24       | 108.45              |
| 3       | 15- अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों को वित्तीय सहायता | 92                     | 42      | 85      | 58      | 43      | 2                | 166.35      | 2,013.06            |
| 4       | 22- नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय                                                      | 87                     | 82      | 73      | 24      | 44      | 2                | 13.68       | 116.91              |
| 5       | 46- विज्ञान और प्रौद्योगिकी                                                                        | 36                     | 35      | 34      | 34      | 39      | 5                | 28.78       | 119.98              |
| 6       | 57- जल संसाधन विभाग से संबंधित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं                                     | —                      | —       | —       | 00      | 00      | 2                | 7.00        | 107.00              |

|   |                                                                                      |    |    |    |    |    |   |        |          |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|---|--------|----------|
| 7 | 75- डब्ल्यू.आर.डी. से संबंधित नाबार्ड सहायता प्राप्त परियोजनाएं                      | 74 | 66 | 29 | 25 | 23 | 3 | 699.06 | 3,496.78 |
| 8 | 82- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के लिए वित्तीय सहायता - त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएं | 87 | 49 | 81 | 53 | 46 | 2 | 325.65 | 5,682.38 |

\*50 प्रतिशत से कम उपयोग के साथ वर्षों की संख्या

स्रोत : संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

बजट का कम उपयोग प्रणालीगत खामियों का संकेत है जो सरकार द्वारा त्वरित सुधारात्मक उपायों को शुरू करने में सक्षम बनाने के लिए एक करीबी समीक्षा की आवश्यकता है। अनुदान 46- विज्ञान और प्रौद्योगिकी में बार-बार कम उपयोग के कारण की जांच सरकार द्वारा की जा सकती है, और सुधारात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

बजटीय प्रावधान का उपयोग करने में असमर्थता, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को संसाधनों के आबंटन से वंचित करती है और लोक वित्त पर कमजोर विधायी नियंत्रण की ओर भी ले जाती है।

### 3.5.6 बजट से भिन्नता के लिए अनुपलब्ध/अपूर्ण स्पष्टीकरण

स्वीकृत बजट के विरुद्ध व्यय दर्शाने के अतिरिक्त, विनियोग खाते उन प्रकरणों के लिए स्पष्टीकरण भी प्रदान करते हैं जहाँ व्यय बजट प्रावधान (मूल तथा अनुपूरक) से काफी भिन्न होता है। विनियोग लेखाओं में उप-शीर्ष/उप-उप-शीर्ष स्तर (विनियोग की इकाई) पर इस प्रकार के अंतर को किस सीमा से परे स्पष्ट किया जाना है, यह लोक-लेखा समिति (पी.ए.सी.) द्वारा निर्धारित किया जाता है।

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) विभागों के नियंत्रण अधिकारियों को विनियोग खाते का प्रारूप प्रदान करता है और लोक-लेखा समिति द्वारा निर्धारित सीमाओं के अनुसार अनुमोदित बजटीय आबंटन के संदर्भ में व्यय में भिन्नता के कारणों/स्पष्टीकरण की मांग करता है।

विनियोग लेखों में शामिल की जाने वाली टिप्पणियों के लिए उप-शीर्षों के चयन के लिए निम्नलिखित मापदंड है (अतिरिक्त/बचत)-

#### 1. टिप्पणियाँ बचत (दत्तमत) पर की जानी है:

- कुल प्रावधान (मूल के साथ अनुपूरक) के 2 प्रतिशत से अधिक की बचत।
- ₹10 करोड़ से कम अनुदान के प्रकरणों में ₹5 लाख से अधिक की बचत के लिए व्यक्तिगत उप शीर्ष।
- ₹10 करोड़ और ₹30 करोड़ के बीच के अनुदान के प्रकरणों में ₹10 लाख से अधिक की बचत के लिए व्यक्तिगत उप-शीर्ष।
- ₹30 करोड़ से अधिक अनुदान के प्रकरणों में ₹20 लाख से अधिक की बचत के लिए व्यक्तिगत उप-शीर्ष।

#### 2. टिप्पणियाँ उन सभी उप-प्रमुखों के लिए बचत (भारित) पर की जानी चाहिए, जहाँ भिन्नता ₹5 लाख से अधिक है।


#### 3. टिप्पणियाँ अतिरिक्त (दत्तमत) पर की जानी है:

- ₹10 करोड़ से कम अनुदान के प्रकरणों में ₹5 लाख से अधिक के लिए व्यक्तिगत उप-शीर्ष।
- ₹10 करोड़ और ₹30 करोड़ के बीच अनुदान के प्रकरणों में ₹10 लाख से अधिक के लिए व्यक्तिगत उप-शीर्ष।
- ₹30 करोड़ से अधिक अनुदान के प्रकरणों में ₹20 लाख से अधिक के लिए व्यक्तिगत उप-शीर्ष।
- उन सभी प्रकरणों में प्रावधान से अधिक के नियमितीकरण के लिए सामान्य टिप्पणियाँ की जाएगी जहाँ अनुदान में कुल अतिरिक्त (कोई भी राशि) है।

**4. टिप्पणियाँ सभी उप-शीर्षों के लिए अतिरिक्त (भारित) पर की जानी चाहिए, जहाँ भिन्नता ₹5 लाख से अधिक है।**

वर्ष 2021-22 के विनियोग लेखे के लेखापरीक्षा के दौरान पता चला कि लगभग 36.04 प्रतिशत प्रकरणों में नियंत्रक अधिकारी ने व्यय के आधार पर बजट आबंटन में बदलाव के लिए स्पष्टीकरण नहीं दिया है। कुल 2,550 उप-शीर्षों में से 1,365 उप-शीर्षों के संबंध में भिन्नता के कारणों की आवश्यकता थी जैसा कि **परिशिष्ट 3.9** में दर्शाया गया है, तथापि, सरकारी विभागों के नियंत्रक अधिकारियों द्वारा 492 उप-शीर्षों में भिन्नता के उचित कारण प्रस्तुत नहीं किए गए थे। उप-शीर्षों के संबंध में, लेखों में उप-शीर्षों की कुल संख्या, जिन्हें विविधताओं के लिए स्पष्टीकरण की आवश्यकता और उप-शीर्षों जहाँ आबंटन से भिन्नता के लिए स्पष्टीकरण प्राप्त किए गए थे, **चार्ट 3.4** में दिए गए हैं।

**चार्ट-3.4: विनियोग खाता में परिवर्तन के लिए सारांश**



बजटीय आबंटन और इसके उपयोग के बीच भिन्नता के लिए स्पष्टीकरण की अनुपस्थिति, शासन की वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने के साधन के रूप में बजट पर विधायी नियंत्रण को सीमित करती है।

**3.5.7 अतिरिक्त व्यय और इसका नियमितीकरण**

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के तहत, राज्य शासन के लिए यह अनिवार्य है कि वह अनुदान/विनियोजन जिन पर आधिक्य व्यय हुआ उनको राज्य विधानसभा से नियमित करवाए। बजट मैनुअल के पैरा 26.15 के अनुसार, जिन मामलों में अधिक व्यय हुआ है, लोक लेखा समिति की सिफारिशों के आधार पर, इस अतिरिक्त व्यय को अतिरिक्त अनुदान के रूप में वित्त विभाग द्वारा संविधान के अनुच्छेद 205 (1) (बी) के तहत आवश्यक रूप से विधान सभा में प्रस्तुत करके नियमित किया जाना चाहिए।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान दो अनुदान और तीन विनियोजन के अंतर्गत राज्य विधानसभा द्वारा किए गए प्राधिकरण पर ₹4,059.76 करोड़ का अतिरिक्त संवितरण था। वर्ष 2020-21 के दौरान, राज्य शासन ने बिना बजट प्रावधान के ₹4,217.51 करोड़ का व्यय किया, जिसका मुख्य कारण रोकड़ शेष को बनाये रखने हेतु ट्रेजरी बिल में किये गये निवेश के सापेक्ष में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्य शासन को संपार्श्विक अग्रिम के रूप में दिए गए अस्थायी ऋण की प्रतिपूर्ति के लिए विशेष आहरण सुविधा के अंतर्गत व्यय था। विवरण नीचे **तालिका 3.8** में दिया गया।

**तालिका 3.8: वर्ष 2021-22 के दौरान प्रावधानों से अतिरिक्त व्यय की नियमितीकरण की आवश्यकता**

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं.              | विभाग का नाम                   | अनुदान संख्या | अनुदान विवरण                | कुल अनुदान/विनियोग | कुल व्यय | आधिक्य व्यय |
|-----------------------|--------------------------------|---------------|-----------------------------|--------------------|----------|-------------|
| <b>राजस्व दत्तमत</b>  |                                |               |                             |                    |          |             |
| 1                     | वित्त विभाग                    | 06            | वित्त विभाग से संबंधित व्यय | 6,974.74           | 7,564.88 | 590.14      |
| <b>पूँजीगत दत्तमत</b> |                                |               |                             |                    |          |             |
| 2                     | धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग | 51            | धार्मिक ट्रस्ट और बंदोबस्ती | 4.50               | 4.77     | 0.27        |

| राजस्व भारत  |                            |     |                                      |                  |                  |                 |
|--------------|----------------------------|-----|--------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 3            | वित्त विभाग                | 06  | वित्त विभाग से संबंधित व्यय          | 0.46             | 0.87             | 0.41            |
| 4            | महिला एवं बाल कल्याण विभाग | 55  | महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय | 0.00             | 0.01             | 0.01            |
| पूँजीगत भारत |                            |     |                                      |                  |                  |                 |
| 5            | —                          | CH1 | लोक ऋण                               | 5,376.37         | 8,845.29         | 3,468.93        |
| <b>कुल</b>   |                            |     |                                      | <b>12,356.07</b> | <b>16,415.83</b> | <b>4,059.76</b> |

स्रोत : विनियोग लेखे 2021-22

वर्ष में प्रावधान से अधिक व्यय न ही केवल विधायी स्वीकृति की आवश्यकता वाले प्रावधानों का उल्लंघन है, अपितु खराब नियोजन का भी संकेत है, जिसे उद्देश्य के लिए बनाए गए बजट के साथ व्यय की प्रगति कि निगरानी रखने से बचा जा सकता था।

वर्ष 2000-01 से 2020-21 के लिए प्रावधान की तुलना में ₹13,376.63 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को अभी नियमित नहीं किया गया है, जिसे **परिशिष्ट 3.10** में दर्शाया गया है। यह संविधान के अनुच्छेद 204 (3) का उल्लंघन है जो यह प्रावधान करता है कि राज्य विधानसभा द्वारा विधि द्वारा किए गए विनियोग के अतिरिक्त राज्य के समेकित कोष से कोई भी पैसा वापस नहीं लिया जाएगा। यह बजटीय और वित्तीय नियंत्रण की प्रणाली को प्रभावित करता है और सार्वजनिक संसाधनों के प्रबंधन में वित्तीय अनुशासनहीनता को प्रोत्साहित करता है। राज्य सरकार अतिरिक्त व्यय को नियमित न करने के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित कर सकती है।

वर्ष 2000-01 से 2020-21 की अवधि के दौरान विधायी प्राधिकरण पर अतिरिक्त व्यय का विवरण तालिका 3.9 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.9: वर्ष 2000-01 से 2020-21 के दौरान प्रावधानों से अतिरिक्त व्यय की नियमितीकरण की आवश्यकता

| क्र.सं.    | वर्ष    | अनुदानों की संख्या | विनियोग की संख्या | (₹ करोड़ में)    |
|------------|---------|--------------------|-------------------|------------------|
|            |         |                    |                   | आधिक्य राशि      |
| 1          | 2000-01 | 11                 | 2                 | 10.21            |
| 2          | 2001-02 | 14                 | 2                 | 115.90           |
| 3          | 2002-03 | 8                  | 2                 | 114.59           |
| 4          | 2003-04 | 4                  | 2                 | 591.12           |
| 5          | 2004-05 | 4                  | 5                 | 133.36           |
| 6          | 2005-06 | 4                  | 2                 | 23.27            |
| 7          | 2006-07 | 4                  | 1                 | 5.13             |
| 8          | 2007-08 | 3                  | 3                 | 15.99            |
| 9          | 2008-09 | 9                  | 1                 | 115.26           |
| 10         | 2009-10 | 10                 | 5                 | 216.77           |
| 11         | 2010-11 | 22                 | 6                 | 293.78           |
| 12         | 2011-12 | 24                 | 1                 | 498.09           |
| 13         | 2012-13 | 2                  | 2                 | 0.96             |
| 14         | 2013-14 | 3                  | 3                 | 178.96           |
| 15         | 2014-15 | 4                  | 2                 | 833.54           |
| 16         | 2015-16 | 3                  | 2                 | 98.24            |
| 17         | 2016-17 | 2                  | 3                 | 12.38            |
| 18         | 2017-18 | 3                  | 3                 | 2.61             |
| 19         | 2018-19 | 2                  | 4                 | 1.67             |
| 20         | 2019-20 | 3                  | 4                 | 6,682.69         |
| 21         | 2020-21 | 2                  | 2                 | 3,432.11         |
| <b>कुल</b> |         | <b>141</b>         | <b>57</b>         | <b>13,376.63</b> |

स्रोत : संबंधित वर्ष के विनियोग लेखे

विनियोग लेखाओ की लेखापरीक्षा ने वर्ष 2021-22 के दौरान 10 मुख्य शीर्षों में 12 अनुदानों/विनियोजन के अंतर्गत प्राधिकरण पर ₹4,167.09 करोड़ का अतिरिक्त संवितरण किया गया जिसका विवरण **परिशिष्ट 3.11** में दिखाया गया है।

### 3.6 व्यय की अतिवेग

मध्यप्रदेश बजट नियमावली (जैसा कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनुसरण किया गया है) के अनुच्छेद 92 के अनुसार, विशेषकर वित्तीय वर्ष के समापन महीनों में व्यय की अतिवेग से बचा जाना चाहिए। वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय की अतिवेग को वित्तीय औचित्य का उल्लंघन माना जाता है।

13 प्रमुख शीर्षों पर ₹1,976.13 करोड़ का व्यय किया गया जो मार्च 2022 में संबंधित प्रमुख शीर्ष के कुल व्यय के 50 प्रतिशत से अधिक थे। विवरण निम्नलिखित तालिका 3.10 में दिया गया है।

तालिका 3.10: व्यय की अतिवेग

(₹ करोड़ में)


| मुख्य शीर्ष | वर्णन                                                                                                     | प्रथम तिमाही  | द्वितीय तिमाही | तृतीय तिमाही  | चतुर्थ तिमाही   | कुल व्यय        | मार्च माह में व्यय | कुल व्यय में से मार्च माह में किये गये व्ययों का प्रतिशत |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 2435        | अन्य कृषि कार्यक्रम                                                                                       | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 12.00           | 12.00           | 12.00              | 100.00                                                   |
| 4220        | सूचना और प्रचार पर पूँजीगत परिव्यय                                                                        | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.06            | 0.06            | 0.06               | 100.00                                                   |
| 6425        | सहयोग के लिए ऋण                                                                                           | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 50.00           | 50.00           | 50.00              | 100.00                                                   |
| 4853        | गैर-लौह खनन और धातुकर्म उद्योगों के लिए पूँजीगत परिव्यय                                                   | 0.00          | 0.17           | 0.33          | 13.26           | 13.76           | 12.47              | 90.59                                                    |
| 4055        | पुलिस के लिए पूँजीगत परिव्यय                                                                              | 0.48          | 3.88           | 5.17          | 89.72           | 99.25           | 88.09              | 88.75                                                    |
| 4070        | अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय                                                                  | 0.00          | 0.00           | 0.25          | 4.68            | 4.93            | 4.33               | 87.88                                                    |
| 4235        | सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय                                                              | 0.00          | 0.12           | 0.25          | 3.58            | 3.94            | 3.15               | 79.91                                                    |
| 6217        | शहरी विकास के लिए ऋण                                                                                      | 0.00          | 9.50           | 16.00         | 80.70           | 106.20          | 71.20              | 67.04                                                    |
| 2245        | प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत                                                                             | 68.35         | 61.05          | 132.30        | 618.57          | 880.27          | 562.73             | 63.93                                                    |
| 3275        | अन्य संचार सेवाएं                                                                                         | 0.00          | 4.69           | 11.00         | 32.13           | 47.82           | 30.23              | 63.21                                                    |
| 2702        | लघु सिंचाई                                                                                                | 19.29         | 18.22          | 16.35         | 58.47           | 76.50           | 47.74              | 62.41                                                    |
| 4225        | अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए पूँजीगत परिव्यय | 12.71         | 47.95          | 81.22         | 239.52          | 381.40          | 197.74             | 51.85                                                    |
| 2048        | ऋण में कटौती के लिए विनियोजन                                                                              | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 300.00          | 300.00          | 150.00             | 50.00                                                    |
|             | <b>कुल</b>                                                                                                | <b>100.83</b> | <b>145.58</b>  | <b>262.87</b> | <b>1,502.69</b> | <b>1,976.13</b> | <b>1,229.74</b>    | <b>62.23</b>                                             |

स्रोत: विनियोग लेख और वी.एल.सी. से प्राप्त जानकारी

तीन मुख्य शीर्षों में, मार्च 2022 के महीने में 100 प्रतिशत खर्च किया गया था। यह वित्त वर्ष के दौरान धन के खराब उपयोग को दर्शाता है। व्यय की स्थिर गति को बनाए रखना स्वस्थ सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि यह उस विशेष महीने में अप्रत्याशित भारी व्यय से उत्पन्न होने वाले किसी विशेष महीने के दौरान राजस्व व्यय के बेमेल के कारण राजकोषीय असंतुलन और अस्थायी नकदी की कमी को दूर करता है।

31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए व्यय और प्राप्तियों की माह-वार प्रवृत्ति चार्ट 3.5 में दिखाई गई है।

चार्ट 3.5: वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान मासिक प्राप्तियां और व्यय



स्रोत: वीएलसी डेटा 2021-22

अंतिम तिमाही (जनवरी-मार्च 2022) में प्राप्त धनराशि कुल प्राप्तियों का 38.16 प्रतिशत थी। अंतिम तिमाही में धन जारी करना व्यय में तेजी का अनुभव करने के कारणों में से एक है। धन जो "लाभप्रद रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता" वित्तीय वर्ष समाप्त होने की प्रतीक्षा किए बिना राजकोष में वापस आ जाना चाहिए। यह विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के समापन महीनों में व्यय की अतिवेग से बचने में मदद करेगा।

### 3.7 डी.डी.ओ. खातों की स्थिति

आहरण और संवितरण अधिकारी (डी.डी.ओ.) एक कार्यालय प्रमुख है और राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा इस प्रकार नामित कोई अन्य अधिकारी भी है, जो राज्य सरकार की ओर से बिल निकालने और भुगतान करने के लिए है। इस अवधि में एक विभागाध्यक्ष भी शामिल होगा जहां वह स्वयं इस तरह के कार्य का निर्वहन करता है और अपने कार्यालय में प्राप्त या संवितरित सभी धन और उसके खातों के रखरखाव के लिए जिम्मेदार है।

एम.पी. ट्रेजरी कोड वॉल्यूम 1 के नियम 284 के अनुसार, ट्रेजरी से कोई पैसा नहीं निकाला जाएगा जब तक कि यह तत्काल संवितरण के लिए आवश्यक न हो। मांगों की प्रत्याशा में राजकोष से अग्रिम राशि प्राप्त करना, या बजट अनुदान की चूक को रोकना एक गंभीर अनियमितता है, और गलती वाले व्यक्ति इस तरह के आहरण के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए खुद को उत्तरदायी बनाते हैं। 31 मार्च 2022 तक, राज्य सरकार के 371 डी.डी.ओ. खातों में ₹266.06 करोड़ रुपये की राशि पड़ी थी। यद्यपि इस राशि का पहले ही राज्य की समेकित निधि से व्यय के रूप में हिसाब-किताब किया जा चुका है, फिर भी वे सरकारी खातों के बाहर अप्रयुक्त हैं।

### 3.8 चयनित अनुदान की समीक्षा

वर्ष 2021-22 के लिए, अनुदान संख्या 03- पुलिस और अनुदान संख्या 30- पंचायत और ग्रामीण विकास से संबंधित व्यय को निर्धारित बजटीय प्रक्रियाओं के अनुपालन, निधियों की निगरानी, नियंत्रण तंत्र और अनुदान के भीतर योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए विस्तृत लेखा परीक्षा के लिए चुना जाता है। अनुदान समीक्षा के निष्कर्षों पर आगे की कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

### 3.8.1 अनुदान सं. 03— पुलिस

पुलिस विभाग विभिन्न प्रवर्तन और विकास एजेंसियों के माध्यम से राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने और विश्वसनीय पुलिसिंग स्थापित करने के लिए कार्रवाई, पहल और प्रयास करने के लिए जिम्मेदार है। चार बजट नियंत्रण अधिकारी (बी.सी.ओ.) अर्थात् पुलिस महानिदेशक; मुख्य कमांडेंट (होमगार्ड) एक महानिदेशक, सार्वजनिक सुरक्षा, रायपुर; निदेशक, लोक अभियोजन और राज्य फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला निदेशालय इस अनुदान के तहत बजट प्राप्त करते हैं।

इसके अलावा, चार मुख्य शीर्ष अर्थात् 2049— ब्याज भुगतान, 2055— पुलिस, 2070— अन्य प्रशासनिक सेवाएं और 4055— पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय इस अनुदान के तहत संचालित किए जाते हैं।

#### 3.8.1.1 बजट और व्यय

तीन वर्ष की अवधि 2019—22 के दौरान इस अनुदान के तहत बजट प्रावधान, वास्तविक व्यय और बचत/अधिकता की समग्र स्थिति नीचे दी गई है।

तालिका 3.11: बजट और व्यय

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं.          | प्रावधान      | 2019—20  | 2020—21  | 2021—22  |
|------------------|---------------|----------|----------|----------|
| राजस्व प्रावधान  |               | 4,602.53 | 4,998.58 | 5,090.97 |
| 1                | व्यय          | 4,300.62 | 4,070.25 | 4,472.77 |
| 2                | बचत           | 301.91   | 928.33   | 618.20   |
| 3                | बचत (प्रतिशत) | 6.56     | 18.57    | 12.14    |
| पूंजीगत प्रावधान |               | 66.40    | 135.39   | 133.74   |
| 4                | व्यय          | 43.02    | 106.21   | 98.96    |
| 5                | बचत           | 23.38    | 29.18    | 34.78    |
| 6                | बचत (प्रतिशत) | 35.21    | 21.55    | 26.01    |
| कुल बजट प्रावधान |               | 4,668.93 | 5,133.97 | 5,224.71 |
| 7                | व्यय          | 4,343.64 | 4,176.46 | 4,571.73 |
| 8                | बचत           | 325.29   | 957.50   | 652.98   |
| 9                | बचत (प्रतिशत) | 6.97     | 18.65    | 12.50    |

स्रोत : विनियोग लेख 2019—22

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, वर्ष 2019—22 की अवधि के दौरान कुल बजट प्रावधान के प्रतिशत के रूप में बचत 6.97 से 12.50 प्रतिशत तक थी। लगातार बड़ी बचत वास्तविक जरूरतों के गलत मूल्यांकन का संकेत है और इसके लिए विभाग की बजट तैयारी की कवायद की समीक्षा की आवश्यकता है। इससे यह भी पता चलता है कि व्यय में पिछले वर्ष के रुझानों पर विचार किए बिना बजट आवंटन किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप लगातार बचत हुई।

#### 3.8.1.2 अविवेकपूर्ण बजट प्रस्ताव

तालिका 3.12: प्रस्तावित बजट और किए गए प्रावधानों का विवरण

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | योजना कोड और नाम                     | बजट प्रस्तावित | बजट प्रावधान | व्यय     | बजट प्रस्ताव से बचत |         |
|----------|--------------------------------------|----------------|--------------|----------|---------------------|---------|
|          |                                      |                |              |          | राशि                | प्रतिशत |
| 1        | 4491— सामान्य व्यय (जिला स्थापना)    | 2,460.08       | 2,429.71     | 2,132.63 | 327.45              | 13.31   |
| 2        | 4492— सामान्य व्यय (विशेष पुलिस)     | 1,469.43       | 1,468.68     | 1,376.58 | 92.85               | 6.32    |
| 3        | 7918— नक्सल प्रभावित जिलों को सहायता | 266.64         | 266.64       | 182.75   | 83.89               | 31.46   |
| 4        | 2629— पुलिस                          | 185.00         | 173.50       | 152.63   | 32.37               | 17.50   |
| 5        | 3680— राज्य मुख्यालय                 | 107.39         | 111.43       | 88.68    | 18.71               | 17.42   |

|   |                                 |       |       |       |       |       |
|---|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 6 | 7811- डायल 100/112              | 92.00 | 68.00 | 42.03 | 49.97 | 54.32 |
| 7 | 195- अन्य पुलिस प्रशिक्षण स्कूल | 60.44 | 57.44 | 47.85 | 12.59 | 20.83 |
| 8 | 4155- वायरलेस सेंटर, रायपुर     | 57.99 | 57.08 | 43.92 | 14.07 | 24.26 |

स्रोत : विभाग द्वारा प्रदान किया गया विनियोग खाता

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, विभाग ने कुछ प्रकरणों में बढ़ा कर बजट प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं जहां व्यय अनुमोदित बजट प्रावधान से कम है। इसलिए, बी.सी.ओ. ने धन की आवश्यकता के यथार्थवादी आंकलन के बिना बजट प्रस्ताव किए और ये खराब वित्तीय प्रबंधन को दर्शाता है।

### 3.8.1.3 बचत का समर्पण

छत्तीसगढ़ बजट नियमावली के अनुसार, बजट नियंत्रक अधिकारी को अनुदान के तहत बचत का अनुमान लगाना चाहिए और प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी के बाद वित्त विभाग को सूचित करना चाहिए। तालिका 3.11 से पता चलता है कि वर्ष 2021-22 के दौरान ₹5,224.71 करोड़ के कुल बजट प्रावधान में से ₹652.98 करोड़ की बचत हुई थी।

### 3.8.1.4 योजनाओं के तहत अनावश्यक पूरक अनुदान और बाद में समर्पण

लेखा परीक्षा में वर्ष 2021-22 में निम्नलिखित योजना शीर्षों के तहत नियमित पूरक प्रावधान और उसके बाद समर्पण देखा गया, जैसा कि तालिका 3.13 में दिखाया गया है।

तालिका 3.13: अनावश्यक पूरक प्रावधान

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | शीर्ष वर्गीकरण               | योजना का नाम | मूल प्रावधान | अनुपूरक प्रावधान | कुल प्रावधान | कुल व्यय | समर्पण |
|----------|------------------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|----------|--------|
| 1        | 2055-00-001-0000-7811-10-009 | डायल 100/112 | 45.00        | 1.00             | 46.00        | 36.83    | 9.17   |
| 2        | 4055-00-208-0101-2629-26-003 | पुलिस        | 82.00        | 1.00             | 83.00        | 64.70    | 18.30  |

स्रोत : विनियोग लेखे 2021-22

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर, पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय ने (सितंबर 2022) कहा कि डायल 100/112 योजना वर्तमान में छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में संचालित है। शेष 17 जिलों के लिए प्रशासनिक अनुमोदन की अनुपलब्धता के कारण, सरकार पूरे बजट प्रावधान का उपयोग नहीं कर सकी।

### 3.8.1.5 योजना शीर्षों के तहत निरंतर बचत

छत्तीसगढ़ बजट मैनुअल के पैरा 31 के अनुसार, यह संभव है कि पूर्वगामी निर्देशों के अनुसार सावधानीपूर्वक तैयार किए गए अनुमान अभी भी बहुत अधिक हो सकते हैं। इसलिए, पिछले तीन वर्षों में अनुमान और वास्तविक के बीच अंतर के संदर्भ में उनकी जांच की जानी चाहिए और प्रस्तावित राशि उसी आधार पर होनी चाहिए।

तीन योजना शीर्षों में तीन वर्षों की अवधि 2019-22 के दौरान निरंतर बचत हुई, जैसा कि तालिका 3.14 में दर्शाया गया है।



तालिका 3.14: योजना शीर्षों के तहत निरंतर बचत

| योजना शीर्ष और नाम                       | 2019-20   |        |     | 2020-21   |        |     | 2021-22   |        |     |
|------------------------------------------|-----------|--------|-----|-----------|--------|-----|-----------|--------|-----|
|                                          | प्रावधान  | बचत    | बचत | प्रावधान  | बचत    | बचत | प्रावधान  | बचत    | बचत |
|                                          | ₹ लाख में |        | %   | ₹ लाख में |        | %   | ₹ लाख में |        | %   |
| 7660- महिलाओं के लिए अपराध अनुसंधान इकाई | 350.64    | 350.64 | 100 | 350.64    | 350.64 | 100 | 359.44    | 359.44 | 100 |
| 5611- पुलिस पब्लिक स्कूल की स्थापना      | 2.70      | 2.70   | 100 | 2.70      | 2.70   | 100 | 2.70      | 2.70   | 100 |
| 5612- पुलिस अस्पताल की स्थापना           | 2.80      | 2.80   | 100 | 2.80      | 2.70   | 100 | 2.80      | 2.80   | 100 |

स्रोत : संबंधित वर्षों का विनियोग खाता

पिछले तीन वर्षों 2019-22 के दौरान उपर्युक्त योजना शीर्षों के तहत 100 प्रतिशत की सीमा तक निरंतर बचत से संकेत मिलता है कि विभाग में बजट प्रक्रिया अवास्तविक थी, और वर्षों के दौरान बचत की सीमा तक धन की आवश्यकता नहीं थी।

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय (सितंबर 2022) ने कहा कि योजना 7660- महिलाओं के लिए अपराध अनुसंधान इकाई के तहत 330 रिक्त पदों को नहीं भरने के कारण बजट प्रावधान का उपयोग नहीं किया जा सका।

### 3.8.1.6 2021-22 के दौरान बजट प्रावधान का उपयोग न होना

वर्ष 2021-22 के दौरान इन योजनाओं में पूरे बजट प्रावधान का उपयोग नहीं होना दर्शाता है कि बजट प्रक्रिया और योजना की आवश्यकताओं का आंकलन अवास्तविक था। संपूर्ण बजट प्रावधान की बचत का विवरण तालिका 3.15 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.15: बजट प्रावधान का उपयोग न करना

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं.   | योजना शीर्ष                                                                         | मूल अनुदान    | वास्तविक व्यय | पुनर्विनियोजित/समर्पण |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|
| 1          | 2055-0801-7811 डायल 100/112                                                         | 10.00         | 00.00         | 10.00                 |
| 2          | 2055-0801-7935 नारकोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रोपिक में अपराध को नियंत्रित करने के लिए | 10.00         | 00.00         | 10.00                 |
| 3          | 2055-09-701-7660 महिलाओं के लिए अपराध अनुसंधान इकाई                                 | 359.44        | 00.00         | 359.44                |
| 4          | 2070-107-2710 कमांडेंट जनरल और अन्य अधीनस्थ कार्यालयों का कार्यालय - आरोपित         | 6.00          | 00.00         | 6.00                  |
| 5          | 4055-207-6717 सुरक्षा से संबंधित प्रतिपूर्ति योग्य व्यय                             | 50.10         | 00.00         | 50.10                 |
| 6          | 2055-109-701-5612 पुलिस अस्पताल की स्थापना                                          | 2.80          | 00.00         | 2.80                  |
| 7          | 4055-0101-800-7012 पुलिस जवाबदेही प्राधिकरण                                         | 2.50          | 00.00         | 2.50                  |
| 8          | 2055-109-701-5611 पुलिस पब्लिक स्कूल की स्थापना                                     | 2.70          | 00.00         | 2.70                  |
| <b>कुल</b> |                                                                                     | <b>443.54</b> | <b>00.00</b>  | <b>443.54</b>         |

स्रोत : विभाग द्वारा प्रदान किया गया विनियोग खाता

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर, विभाग ने कहा (सितंबर 2022) कि विभिन्न योजनाओं के तहत नए पदों के सृजन के लिए प्रावधानों की मांग की गई थी। पदों का सृजन न होने के कारणों के बारे में आगे पूछताछ करने पर, विभाग ने कोई जवाब नहीं दिया।

### 3.8.1.7 विभागीय व्यय के आंकड़ों के मिलान पर

छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी अनुदेशों (अगस्त 2010) के अनुसार, विभागों को अनिवार्य रूप से प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा दर्ज आंकड़ों के साथ विभिन्न खातों के तहत अपने

व्यय का मिलान करना चाहिए।

अनुदान संख्या 03 की समीक्षा से पता चला कि निम्नलिखित शीर्षों के तहत उल्लिखित विभागीय आंकड़ों का मिलान नहीं किया गया जैसा कि तालिका 3.16 में दिखाया गया है।

तालिका 3.16: व्यय का मिलान न होना

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | योजना शीर्ष वर्गीकरण                                       | प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के अनुसार |          | विभाग के अनुसार (ई-कोश <sup>1</sup> ) |          |
|---------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------------------|----------|
|         |                                                            | कुल बजट                                       | व्यय     | कुल बजट                               | व्यय     |
| 1       | 03-2055-001-3680 राज्य मुख्यालय                            | 98.83                                         | 85.67    | 96.86                                 | 85.97    |
| 2       | 03-2055-003-195 अन्य पुलिस प्रशिक्षण स्कूल                 | 56.80                                         | 47.29    | 56.47                                 | 47.70    |
| 3       | 03-2055-104-4492 सामान्य व्यय (विशेष पुलिस)                | 1,459.68                                      | 1,367.72 | 1,443.88                              | 1,390.56 |
| 4       | 03-2055-109-4491 सामान्य व्यय (जिला स्थापना)               | 2,410.45                                      | 2,115.59 | 2,423.05                              | 2,130.95 |
| 5       | 03-2055-109-6717 सुरक्षा से संबंधित प्रतिपूर्ति योग्य व्यय | 202.38                                        | 196.64   | 207.88                                | 196.8    |
| 6       | 03-2055-109-8333 सड़क सुरक्षा निधि से व्यय                 | 20.00                                         | 20.00    | 20.00                                 | 15.00    |
| 7       | 03-2055-111-2531 पर्यवेक्षी स्टाफ (रेल पुलिस-पूर्वी खंड)   | 39.17                                         | 30.38    | 39.17                                 | 30.60    |
| 8       | 03-2055-114-4155 वायरलेस सेंटर, रायपुर                     | 53.95                                         | 41.81    | 53.95                                 | 42.19    |
| कुल     |                                                            | 4,341.26                                      | 3,905.1  | 4,341.26                              | 3,939.77 |

स्रोत : विनियोग लेखा 2021-22 और विभागीय आंकड़े

\* कोषागारों, छत्तीसगढ़ का ऑनलाइन कम्प्यूटरीकरण [ekoshonline.cg.nic.in](http://ekoshonline.cg.nic.in) पर उपलब्ध है

### 3.8.1.8 व्यय की अतिवेग

मध्य प्रदेश बजट नियमावली के पैरा 92 के अनुसार, कोई भी अनुदान जो लाभप्रद रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता है, उसे वापस कर दिया जाना चाहिए। विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के समापन माह में व्यय की अतिवेग से बचना चाहिए। इसके अलावा, सरकारी व्यय में गुणवत्ता बढ़ाने की दृष्टि से नकद प्रबंधन प्रणाली को लागू करने के लिए, वित्त विभाग ने विभागों को वर्ष के दौरान बजट के व्यय को नियंत्रित करने के लिए एक उपयुक्त योजना तैयार करने का निर्देश दिया है ताकि अंतिम तिमाही के दौरान व्यय की अतिवेग से बचा जा सके। तथापि, कुछ योजना शीर्षों में व्यय की अतिवेग देखी गई जैसा कि तालिका 3.17 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.17: व्यय की अतिवेग

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | योजना शीर्ष | योजना का नाम                                                   | कुल बजट प्रावधान | पिछली तिमाही में हुआ व्यय | कुल व्यय | मार्च के महीने में हुआ खर्च | पिछली तिमाही में हुआ व्यय (%) | मार्च के महीने में हुआ व्यय (%) |
|----------|-------------|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|----------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1        | 8333        | सड़क सुरक्षा निधि से खर्च                                      | 20.00            | 20.00                     | 20.00    | 15.00                       | 100.00                        | 75.00                           |
| 2        | 0121        | केंद्रीय पुलिस बल की तैनाती                                    | 11.00            | 10.57                     | 10.57    | 10.57                       | 96.11                         | 96.11                           |
| 3        | 6460        | मानव तस्करी विरोधी इकाई                                        | 3.60             | 3.36                      | 3.60     | 3.36                        | 93.28                         | 93.28                           |
| 4        | 7936        | मजबूत निर्माण पुलिस स्टेशनों के साथ विशेष बुनियादी ढांचा योजना | 40.00            | 31.25                     | 37.78    | 16.21                       | 78.12                         | 40.51                           |
| 5        | 2629        | पुलिस                                                          | 85.50            | 64.01                     | 66.47    | 63.48                       | 74.87                         | 74.25                           |
| 6        | 7633        | अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम                       | 9.00             | 6.12                      | 8.12     | 6.12                        | 67.99                         | 67.99                           |
| 7        | 7918        | नक्सल प्रभावित जिलों को सहायता                                 | 266.64           | 140.00                    | 182.75   | 140.00                      | 52.51                         | 52.51                           |
| 8        | 2710        | कमांडेंट जनरल का कार्यालय और अन्य                              | 0.72             | 0.32                      | 0.32     | 0.32                        | 44.79                         | 44.79                           |
| 9        | 6717        | सुरक्षा से संबंधित प्रतिपूर्ति योग्य व्यय                      | 202.88           | 67.04                     | 196.64   | 35.74                       | 33.04                         | 17.61                           |

स्रोत : विनियोग लेखा 2021-22

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर, विभाग ने जवाब दिया (सितंबर 2022), कि व्यय की अतिवेग प्रशासनिक अनुमोदन और पुन-विनियोजन आदेशों जहां बचत की उम्मीद थी, प्राप्त करने में देरी का परिणाम थी।

### 3.8.2 अनुदान सं. 30— पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय

यह विभाग स्व-रोजगार और मजदूरी रोजगार के सृजन, ग्रामीण गरीबों के लिए आवास और लघु सिंचाई परिसंपत्तियों के प्रावधान, निराश्रितों को सामाजिक सहायता और ग्रामीण सड़कों के लिए योजनाएं कार्यान्वित करता है। इसके अलावा, विभाग सहायता सेवाएं और अन्य गुणवत्ता इनपुट प्रदान करता है जैसे कि डी. आर.डी.ए. प्रशासन, पंचायती राज संस्थानों, प्रशिक्षण अनुसंधान, मानव संसाधन विकास, स्वैच्छिक कार्रवाई के विकास आदि के उचित कार्यान्वयन के लिए।

दो बजट नियंत्रक अधिकारी (बी.सी.ओ.) अर्थात् निदेशक, पंचायत और विकास आयुक्त, ग्रामीण विकास इस अनुदान के तहत बजट प्राप्त करते हैं।

इसके अलावा, नौ मुख्य शीर्ष अर्थात् 2215— जल आपूर्ति और स्वच्छता, 2216— आवास, 2235— सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, 2501— विशेष कार्यक्रम या ग्रामीण विकास, 2505— ग्रामीण रोजगार, 2515— अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 3054— सड़कें और इस अनुदान के अंतर्गत पुल, 4515— पूंजी परिव्यय और अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के हित भुगतान तथा 5054— सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय का प्रचालन किया जाता है।

#### 3.8.2.1 बजट और व्यय

इस अनुदान के तहत तीन वर्ष की अवधि 2019–22 के दौरान बजट प्रावधान, वास्तविक व्यय और बचत/अधिकता की समग्र स्थिति नीचे दी गई है।

तालिका 3.18: बजट और व्यय

|                         |               | (₹ करोड़ में)   |                 |                 |
|-------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| क्र.सं.                 | प्रावधान      | 2019–20         | 2020–21         | 2021–22         |
| <b>राजस्व प्रावधान</b>  |               | <b>2,947.10</b> | <b>3,219.66</b> | <b>3,210.73</b> |
| 1                       | व्यय          | 1,906.11        | 1,486.52        | 2,024.41        |
| 2                       | बचत           | 1,040.99        | 1,733.14        | 1,186.32        |
| 3                       | बचत (प्रतिशत) | 35.32           | 53.83           | 36.95           |
| <b>पूंजीगत प्रावधान</b> |               | <b>981.73</b>   | <b>868.59</b>   | <b>929.89</b>   |
| 4                       | व्यय          | 825.17          | 765.12          | 783.78          |
| 5                       | बचत           | 156.56          | 103.47          | 146.11          |
| 6                       | बचत (प्रतिशत) | 15.95           | 11.91           | 15.71           |
| <b>कुल बजट प्रावधान</b> |               | <b>3,928.83</b> | <b>4,088.25</b> | <b>4,140.62</b> |
| 7                       | व्यय          | 2,731.28        | 2,251.64        | 2,808.19        |
| 8                       | बचत           | 1,197.55        | 1,836.61        | 1,332.43        |
| 9                       | बचत (प्रतिशत) | 30.48           | 44.92           | 32.18           |

स्रोत : विनियोग लेखा 2019–22

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, वर्ष 2019–22 की अवधि के दौरान कुल बजट प्रावधान के प्रतिशत के रूप में बचत 30.48 से 44.92 प्रतिशत तक थी। यह वृहद् बचत वास्तविक जरूरतों के गलत आंकलन या प्रदर्शन में कमी या दोनों का संकेत है। इससे यह भी पता चलता है कि व्यय में पिछले वर्षों के रुझानों पर विचार किए बिना ही बजट आवंटन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप लगातार बचत हुई।

#### 3.8.2.2 वर्ष 2021–22 के दौरान बजट प्रावधान का उपयोग न होना

2021–22 के दौरान इन योजनाओं में पूरे बजट प्रावधान का उपयोग नहीं होना दर्शाता है कि बजट प्रक्रिया और योजना की आवश्यकताओं का आकलन अवास्तविक था। संपूर्ण बजट प्रावधान की बचत का

विवरण तालिका 3.19 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.19: बजट प्रावधान का उपयोग न करना

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं.   | योजना शीर्ष                                                                                      | मूल अनुदान    | वास्तविक व्यय | पुनर्विनियोजित / समर्पण |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 1          | 30- 2215- 107- 701- 7610 स्वच्छ भारत अभियान                                                      | 200.00        | 00.00         | 200.00                  |
| 2          | 30- 5054- 337- 101- 4855 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना                                           | 30.00         | 00.00         | 30.00                   |
| 3          | 30- 5054- 101- 101- 4871 पी.एम.जी.एस.वाई. सड़कों पर पुलों का निर्माण                             | 20.00         | 00.00         | 20.00                   |
| 4          | 30- 4515- 102- 101- 6437 ग्राम क्षेत्रों में गौठान निर्माण                                       | 1.50          | 00.00         | 1.50                    |
| 5          | 30- 4515- 102- 801- 7644 ग्रामीण सड़क नेटवर्क प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र                       | 1.00          | 00.00         | 1.00                    |
| 6          | 30- 2235- 196- 101- 7974 अभिसारित आम आदमी बीमा योजना                                             | 0.50          | 00.00         | 0.50                    |
| 7          | 30- 2235- 196- 101- 7975 अभिसारित प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना/प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना | 0.50          | 00.00         | 0.50                    |
| <b>कुल</b> |                                                                                                  | <b>253.50</b> | <b>00.00</b>  | <b>253.50</b>           |

स्रोत : विभाग द्वारा प्रदान किया गया विनियोग खाता

इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर, विभाग ने (अक्टूबर 2022) निम्नलिखित कहा—

- 4855- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और 4871- पीएमजीएसवाई सड़कों पर पुलों का निर्माणरू इन योजनाओं के तहत कोई आवश्यकता नहीं थी। इसलिए, संबंधित बजटों को पीएमजीएसवाई के तहत सीएसएस को पुन-विनियोजित और आवंटित किया गया है और इसका उपयोग किया गया था। .
- 6437- ग्राम क्षेत्रों में गौठान निर्माण – सभी जिलों में कन्वर्जेंस के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में गौठानों (गौशाला) के निर्माण का कार्य कलेक्टर द्वारा किया जा रहा है। इसी वजह से बजट में दी गई राशि की मांग न होने के कारण राशि की निकासी नहीं की गई और पूरी राशि समर्पित कर दी गई।
- 7644- ग्रामीण कनेक्टिविटी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र (आरसीटीआरसी) और ग्रामीण सड़क नेटवर्क प्रबंधन इकाइयां (आरआरएनएमयू)- भवन की लगभग समाप्त चौथी मंजिल में स्थापित किए जाने वाले फर्नीचर, कंप्यूटर आदि की खरीद के लिए बजट का प्रावधान किया गया था, लेकिन निर्माण पूरा होने में देरी के कारण पूरी राशि का उपयोग नहीं किया गया।
- 7974- अभिसारित आम आदमी बीमा और 7975- अभिसारित प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना- एल.आई.सी. द्वारा इस योजना के तहत 01 जून 2019 से बीमित लाभार्थियों का नवीनीकरण नहीं किए जाने के कारण, पूरी राशि का उपयोग नहीं किया गया।

### 3.8.2.3 योजना शीर्षों के तहत निरंतर बचत

छत्तीसगढ़ बजट मैनुअल के पैरा 31 के अनुसार, यह संभव है कि पूर्वगामी निर्देशों के अनुसार सावधानीपूर्वक तैयार किए गए अनुमान अभी भी बहुत अधिक हो सकते हैं। इसलिए, पिछले तीन वर्षों में अनुमान और वास्तविक के बीच अंतर के संदर्भ में उनकी जांच की जानी चाहिए और प्रस्तावित राशि उसी आधार पर होनी चाहिए।

सात योजना शीर्षों में तीन वर्ष की अवधि 2019-22 के दौरान प्रतिशत निरंतर बचत हुई, जैसा कि तालिका 3.20 में दिखाया गया है।

तालिका 3.20: योजना शीर्षों के तहत निरंतर बचत

(₹ लाख में)

| क्र. सं. | योजना शीर्ष और नाम                                                  | बजट प्रावधान |          |          |
|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|
|          |                                                                     | 2021-22      | 2020-21  | 2019-20  |
| 1.       | 4515-102-101-3064 भवन निर्माण                                       | 2.00         | 2.00     | 24.00    |
| 2.       | 5054-101-101-4871 पी.एम.जी.एस.वाई. सड़कों पर पुलों का निर्माण       | 2,000.00     | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 3.       | 2501-60-196-101-6768 बेरोजगारी भत्ता निधि में अनुदान                | 5.00         | 20.00    | 20.00    |
| 4.       | 2501-60-196-101-7588 मनरेगा के तहत मातृत्व भत्ता                    | 0.25         | 0.25     | 0.25     |
| 5.       | 2515-102-801-7644 ग्रामीण सड़क नेटवर्क प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र | 10.60        | 10.60    | 10.00    |
| 6.       | 2515-102-801-7658 सांसद आदर्श ग्राम योजना                           | 8.60         | 8.60     | 8.60     |
| 7.       | 2515-102-801-7659- विधायक आदर्श ग्राम योजना                         | 8.60         | 8.60     | 12.10    |

स्रोत : विनियोग लेखा 2019-22

पिछले तीन वर्षों 2019-22 के दौरान उपर्युक्त योजना शीर्षों के तहत 100 प्रतिशत की सीमा तक निरंतर बचत से संकेत मिलता है कि विभाग कि बजट प्रक्रिया अवास्तविक थी, और वर्षों के दौरान बचत की सीमा तक धन की आवश्यकता नहीं थी।

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर , विभाग ने (अक्टूबर 2022) निम्नलिखित कहा-

- 4871- पी.एम.जी.एस.वाई. सड़कों पर पुलों का निर्माण- पी.एम.जी.एस.वाई. सड़कों पर पुलों का निर्माण अन्य केंद्रीय प्रायोजित योजना (सी.एस.एस.) मद (5054-04-337-4855) के तहत उपलब्ध निधियों से किया गया था, इसलिए इस मद (5054-101-101-4871) के तहत आवंटित किसी निधि का उपयोग नहीं किया गया था और इसे वापस कर दिया गया था।
- 6768- बेरोजगारी भत्ता निधि में अनुदान- जिलों से शून्य मांग के कारण, पूरे बजट प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया था।
- 7588- मनरेगा के तहत मातृत्व भत्ता- इस मद में प्रदान किए गए भत्ते पिछले वर्षों से निकाले गए धन से किए जा रहे हैं, इसलिए इस टोकन बजट प्रावधान का उपयोग नहीं किया जा सका।
- 7644- ग्रामीण सड़क नेटवर्क प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र- फर्नीचर, कंप्यूटर आदि की खरीद के लिए अनुदान का प्रावधान किया गया था, लेकिन भवन में चौथी मंजिल के निर्माण को पूरा करने में देरी के कारण वर्ष 2019-20 और 2020-21 में पूरी राशि का उपयोग नहीं किया गया। इसलिए, इस वर्ष फंड जारी नहीं किया गया था।
- 7658- सांसद आदर्श ग्राम योजना और 7659- विधायक आदर्श ग्राम योजनारू स्टेशनरी, कंप्यूटर और अन्य कार्यालय खर्चों की खरीद के लिए बजट का प्रावधान किया गया था, लेकिन व्यय कार्यालय के प्रशासन और मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा आदेश के अनुसार अन्य योजनाओं के तहत उपलब्ध धन से किया गया था। इसलिए इस मद के तहत किए गए पूरे बजट प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया था।

तालिका 3.21: योजना शीर्षों के तहत निरंतर बचत (96 प्रतिशत तक)

(₹ करोड़ में)

| योजना वर्गीकरण                                    | 2019-20 |        |                 | 2020-21 |        |                 | 2021-22 |        |                 |
|---------------------------------------------------|---------|--------|-----------------|---------|--------|-----------------|---------|--------|-----------------|
|                                                   | बजट     | व्यय   | बचत             | बजट     | व्यय   | बचत             | बजट     | व्यय   | बचत             |
| 2216-03-105-701-7807-पी.एम.ए. वार्ड. (ग्रामीण)    | 894.00  | 305.57 | 588.43<br>(66%) | 800.00  | 179.42 | 620.58<br>(78%) | 900.00  | 195.84 | 704.16<br>(78%) |
| 4515-102-701-7759-श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन | 55.00   | 18.00  | 37.00<br>(67%)  | 55.00   | 30.00  | 25.00<br>(45%)  | 50.00   | 2.72   | 47.28<br>(96%)  |

स्रोत : विनियोग लेखा 2019-22

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर, विभाग ने (अक्टूबर 2022) निम्नलिखित कहा—

- 7807—पी.एम.ए.वाई. (ग्रामीण)— वर्ष 2019—2020 में ₹894.00 करोड़ (केंद्र— ₹584 करोड़ और राज्य— ₹310 करोड़) का बजट प्रावधान किया गया था। घरों के निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, केंद्र सरकार ने पहली किस्त में ₹224.84 करोड़ जारी किए, योगदान की बराबरी करने के लिए, राज्य सरकार ने वर्ष 2018—19 में ऋण लिया और वर्ष 2019—20 में ₹80.72 करोड़ का ब्याज भुगतान किया, इसलिए व्यय ₹305.57 करोड़ हो गया। बाद के वर्षों में, चूंकि केंद्र से धन जारी नहीं किया गया था क्योंकि राज्य अपना समान योगदान प्रदान नहीं कर सका था, इसलिए केवल ब्याज भुगतान और मूल धन का भुगतान वर्ष 2020—21 में ₹179.42 करोड़ और वर्ष 2021—22 में ₹195.84 करोड़ किया गया था।
- 7759— श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन— केंद्र से बजट यी प्रावधान के मुकाबले कम धनराशि जारी होने के कारण अनुदान 30 के तहत इस योजना के तहत किया गया व्यय कम है।

### 3.8.2.4 व्यय की अतिवेग

मध्य प्रदेश बजट नियमावली के पैरा 92 के अनुसार, कोई भी अनुदान जो लाभप्रद रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता है, उसे वापस कर दिया जाना चाहिए। विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के समापन माह में व्यय की भीड़ से बचना चाहिए। इसके अलावा, सरकारी व्यय में गुणवत्ता बढ़ाने की दृष्टि से नकद प्रबंधन प्रणाली को लागू करने के लिए, वित्त विभाग ने विभागों को वर्ष के दौरान बजट के व्यय को नियंत्रित करने के लिए एक उपयुक्त योजना तैयार करने का निर्देश दिया है ताकि अंतिम तिमाही के दौरान व्यय की भीड़ से बचा जा सके। तथापि, कुछ योजना शीर्षों में व्यय की अधिकता देखी गई जैसा कि तालिका 3.22 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.22: व्यय की अतिवेग

| क्र.सं. | योजना शीर्ष तथा नाम                                  | कुल बजट प्रावधान | पिछली तिमाही में हुआ व्यय | ₹ करोड़ में                 |                               |                                 |
|---------|------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
|         |                                                      |                  |                           | मार्च के महीने में हुआ व्यय | पिछली तिमाही में हुआ व्यय (%) | मार्च के महीने में हुआ व्यय (%) |
| 1.      | 30- 4515- 102- 101- 7658 सांसद आदर्श ग्राम योजना     | 4.00             | 4.00                      | 4.00                        | 100.00                        | 100.00                          |
| 2.      | 30- 4515-102- 101- 7659 विधायक आदर्श ग्राम योजना     | 4.00             | 4.00                      | 4.00                        | 100.00                        | 100.00                          |
| 3.      | 30- 3054- 4- 105- 4855 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना | 600.00           | 330.16                    | 240.16                      | 55.03                         | 40.03                           |

स्रोत : विनियोग लेखा 2021—22

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर , विभाग ने (अक्टूबर 2022) निम्नलिखित कहा—

- 7658— सांसद आदर्श ग्राम योजना और 7659— विधायक आदर्श ग्राम योजनारू इस योजना के तहत प्रावधानित निधियों का उपयोग माननीय मंत्रियों और पी एंड आरडी विभाग की सिफारिश पर किया जाता है। चूंकि सिफारिशों को मार्च के महीने में वापस ले लिया गया था, इसलिए मार्च 2022 में शत प्रतिशत व्यय किया गया था। विभाग ने भविष्य में इसकी देखभाल करना सुनिश्चित किया।
- 4855— प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना— सरकार द्वारा ₹330.00 करोड़ की धनराशि की निकासी की अनुमति वर्ष 2021—22 की चौथी तिमाही (दिनांक 15/03/2022, 30/03/2022 और 14/02/2022 को) में छत्तीसगढ़ सरकार, पंचायत और ग्रामीण विकास ने दी थी। तदनुसार, व्यय पिछली तिमाही में किया गया।

### 3.8.2.5 पूर्ण/संपूर्ण बजट प्रावधान का समर्पण

विकास आयुक्त कार्यालय, विकास भवन द्वारा प्रदान किए गए अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया कि निम्नलिखित शीर्षों के तहत, पूरे बजट प्रावधान को समर्पण कर दिया गया था।

तालिका 3.23: पूर्ण/संपूर्ण बजट प्रावधान का समर्पण

| क्र. सं.   | शीर्ष वर्गीकरण                                                                | बजट प्रावधान     | समर्पण की गई राशि (₹ लाख में) |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|
| 1.         | 2216-03-105-701-7807-14-007 पी.एम.ए.वाई. (ग्रामीण)                            | 62,000.00        | 62,000.00                     |
| 2.         | 2515-00-102-801-7644-04-003 ग्रामीण सड़क नेटवर्क प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र | 10.60            | 10.60                         |
| 3.         | 4515-00-102-801-7644-26-003 ग्रामीण सड़क नेटवर्क प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र | 100.00           | 100.00                        |
| 4.         | 2515-00-102-101-7658 सांसद आदर्श ग्राम योजना                                  | 8.60             | 8.60                          |
| 5.         | 2515-00-102-101-7659 विधायक आदर्श ग्राम योजना                                 | 8.60             | 8.60                          |
| 6.         | 4515-00-102-101-6437 ग्राम क्षेत्रों में गौठान निर्माण                        | 150.00           | 150.00                        |
| <b>कुल</b> |                                                                               | <b>62,277.80</b> | <b>62,277.80</b>              |

स्रोत : विनियोग लेखा 2021-22

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर , विभाग ने (अक्टूबर 2022) निम्नलिखित कहा—

- 7807— पी.एम.ए.वाई. (ग्रामीण)— यहां इस मद के तहत कोई खर्च नहीं किया गया था और वर्ष 2021-22 में राज्य सरकार द्वारा 7,81,999 घरों के निर्माण के शत-प्रतिशत लक्ष्य को स्वीकार नहीं करने के कारण पूरे प्रावधान को छोड़ दिया गया था।
- 7644— ग्रामीण सड़क नेटवर्क प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र— इस वर्ष राज्य सरकार द्वारा धनराशि जारी नहीं किए जाने के कारण कोई व्यय नहीं किया गया।
- 7658— सांसद आदर्श ग्राम योजना और 7659— विधायक आदर्श ग्राम योजना रू स्टेशनरी, कंप्यूटर और अन्य कार्यालय खर्चों की खरीद के लिए बजट का प्रावधान किया गया था लेकिन व्यय अन्य योजनाओं के तहत उपलब्ध धन से किया गया था। इसलिए इस मद के तहत किए गए पूरे बजट प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया था।
- 6437— ग्राम क्षेत्रों में गौठान निर्माण— गौठानों (गौशालाओं) का निर्माण जिला कलेक्टरों के आदेशों के तहत किया जाता है, क्योंकि इस वर्ष कलेक्टरों से कोई मांग नहीं की गई थी, इसलिए पूरे प्रावधान को वापस कर दिया गया था।

### 3.8.2.6 निधियों का ब्लॉक

विकास आयुक्त, ग्रामीण विकास कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए रिकॉर्ड की जांच के दौरान, यह पाया गया कि छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास निगम (प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के कार्यान्वयन के लिए बनाई गई एस.पी.वी.) ने ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के निर्माण के लिए अक्टूबर 2018 में ₹1,000 करोड़ का ऋण प्राप्त करने के लिए केनरा बैंक के साथ एक समझौता किया। इसके अलावा, छत्तीसगढ़ सरकार ने अपेक्षित मूलधन और ब्याज का भुगतान करने की गारंटी दी है। हालांकि, समझौते में कुल ऋण राशि के 12 प्रतिशत (120 करोड़) के ग्रहणाधिकार (Lien) को चिह्नित करने के लिए एक खंड शामिल था। तदनुसार, मनरेगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन आदि जैसी अन्य फ्लैगशिप योजनाओं के 37 बैंक खातों में ₹12,674 करोड़ की राशि उपलब्ध है। ग्रहणाधिकार (Lien) के रूप में चिह्नित किया गया था जिसके कारण बताई गयी राशि का उपयोग नहीं किया जा सका।

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर ग्रामीण विकास विभाग ने इसे स्वीकार (अक्टूबर 2022) कर लिया और जवाब दिया कि विभाग बैंक के उच्च अधिकारियों के साथ लगातार बातचीत कर रहा है और राज्य स्तरीय

बैंकर्स समिति (एस.एल.बी.सी.) में भी इस मामले को उठाया है क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने पहले ही अपेक्षित मूलधन और ब्याज का भुगतान करने की गारंटी दी है।

इस प्रकार, ऋण के पुनर्भुगतान की सरकार की गारंटी और अन्य बैंक खातों पर ग्रहणाधिकार के बावजूद समझौते में 12 प्रतिशत ग्रहणाधिकार (Lien) को शामिल करने से सरकार को उन योजनाओं के तहत व्यय करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया और इसलिए धन अवरुद्ध हो गया और कम उपयोग हुआ।

### 3.9 निष्कर्ष

वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य सरकार की बजटीय धारणाएं यथार्थवादी नहीं थीं, जिसके परिणामस्वरूप बचत/अधिकता हुई। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि बचत में कमी हो, अनुदानों/विनियोगों के भीतर बड़ी बचतों को उचित पुनर्विनियोजनों द्वारा नियंत्रित किया जाए, और प्रत्याशित बचतों की पहचान की जाए और विनिदष्ट समय-सीमा के भीतर वापस कर दिया जाए ताकि निधियों का उपयोग विकास त्मक प्रयोजनों के लिए किया जा सके, अपर्याप्त है। इसके अलावा, पिछले वर्ष (81.22 प्रतिशत) की तुलना में 2021-22 के दौरान बजटीय धन के उपयोग का प्रतिशत (87.37 प्रतिशत) बढ़ा है।

2021-22 के दौरान दो अनुदानों और तीन विनियोगों से संबंधित ₹4,059.76 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को राज्य विधानमंडल से नियमित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, 2000-01 से 2020-21 तक नियमितीकरण के लिए कुल ₹13,376.63 करोड़ रुपये लंबित हैं।

पूरक अनुदान/विनियोजन पर्याप्त औचित्य के बिना प्राप्त किए गए थे। बचत को न तो समय पर सरेंडर किया गया और न ही आवंटन की तुलना में व्यय में भिन्नता के लिए महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को स्पष्टीकरण दिया गया। विभागों को न तो निरंतर बचत के प्रति आगाह किया गया था; न ही उनके बजट आवंटन को अवशोषित करने की उनकी क्षमता के अनुसार भिन्न थे।

### 3.10 अनुशंसाएं

- i. सरकार को अपनी बजटीय मान्यताओं में अधिक यथार्थवादी होना चाहिए और बचत/अतिरिक्त व्यय को कम करने के लिए कुशल नियंत्रण तंत्र सुनिश्चित करना चाहिए।
- ii. बजट के समुचित कार्यान्वयन और निगरानी को लागू करने के लिए सरकार द्वारा एक उपयुक्त नियंत्रण तंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बचत में कटौती हो, अनुदानों/विनियोगों के भीतर बड़ी बचत को नियंत्रित किया जाए और प्रत्याशित बचत की पहचान की जाए और विनिदष्ट समय-सीमा के भीतर वापस कर दिया जाए ताकि निधियों का उपयोग विकासात्मक प्रयोजनों के लिए किया जा सके।
- iii. विधानमंडल द्वारा अनुमोदित अनुदानों पर अधिक व्यय विधायिका की इच्छा का उल्लंघन है। इसलिए, 2000-01 से 2021-22 की अवधि के दौरान अनुदान/विनियोग पर अतिरिक्त व्यय को जल्द से जल्द नियमित करने की आवश्यकता है।
- iv. राज्य सरकार को विभागों की आवश्यकताओं और आवंटित संसाधनों का उपयोग करने की उनकी क्षमता के विश्वसनीय अनुमानों के आधार पर एक यथार्थवादी बजट तैयार करने की आवश्यकता है।
- v. नियंत्रक अधिकारियों को बजट के उचित विश्लेषण और सार्थक विनियोग खातों को तैयार करने की सुविधा के लिए आवंटन से व्यय में भिन्नता की व्याख्या करने के लिए उनकी जिम्मेदारी से अवगत कराया जाना चाहिए।